



योजना विभाग

बिहार-सरकार
समाहरणालय, सिवान
सिवान-841226
(जिला योजना कार्यालय)

Fax no- 06154-242324
Phone no- 06154-242324
Email- dposiwan2014@gmail.com

-: निविदा आमंत्रण सूचना :-

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय सांसद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सिवान जिलान्तर्गत अनुशंसित पॉच विद्यालयों में मल्टी जिम उपस्कर की आपूर्ति हेतु ISI/BIS standard के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अधिकृत उत्पादको/विक्रेताओं से मुहरबन्द द्वि लिफाफा पद्धति के आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 9/12/18 के अपराह्न 2:00 बजे तक जिला योजना कार्यालय, सिवान में समर्पित किया जा सकता है। प्राप्त निविदा को उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। मल्टीजिम उपस्कर की सूची जिला योजना कार्यालय सिवान से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं। विज्ञापन प्रारूप सिवान जिले के वेबसाईट www.sivan.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

निविदा की शर्तें :-

- 1 तकनीकी निविदा के साथ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट, जो जिला योजना पदाधिकारी, सिवान के पदनाम से देय होगा, अग्रधन के रूप में संलग्न रहना चाहिए।
- 2 निविदादाता को निबंधित प्रतिष्ठान का प्रमाण-पत्र व संस्था का परिचय, फर्म का नाम, कार्यालय का पूर्ण पता, पिन कोड देना अनिवार्य है।
- 3 निविदादाता को वाणिज्यकर/GST से निबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि तथा वाणिज्यकर/ GST रिटर्न की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।
- 4 निविदादाता को लगातार तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति एवं पेन कार्ड नम्बर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 5 निविदादाता का Turn Over पिछले तीन वित्तीय वर्ष में 50,00,000/- (पचास लाख) रूपए का होना अनिवार्य है। (सत्यापन के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा ऑडिटेड Profit & Loss और Balance Sheet संलग्न करें।)
- 6 सांसद निधि योजना के अंतर्गत विगत वर्षों में सरकारी विद्यालयों में मल्टीजिम उपस्कर सामग्रियों की आपूर्ति का अगर अनुभव हो तो इसका जिक्र निविदा में अंकित करें।
- 7 निविदा में भाग लेने वाले मल्टीजिम निर्माता व अधिकृत विक्रेता के पास फर्म की गुणवत्ता के लिए ISO प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
- 8 निविदा में मल्टीजिम उपस्कर के निर्माता या उनके द्वारा प्राधिकृत निबंधित प्रतिष्ठान ही भाग ले सकते हैं।
- 9 निविदादाता को ISO ब्रांड का अधिकृत विक्रेता होना अनिवार्य है।
- 10 निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र देना होगा।
- 11 निविदादाता को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें :-

- 12 वित्तीय निविदा में उपलब्ध सूची के अनुसार सामग्री का नाम एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्तें :-

- 13 जिला योजना कार्यालय, सिवान में मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाएगा।
- 14 तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में होना चाहिए।
- 15 तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
- 16 सभी सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन संबंधित विद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

- 17 कार्यादेश के अनुरूप सभी सामग्रियों की आपूर्ति एवं अद्यिष्ठापन निर्धारित समय सीमा के अंदर चिन्हित विद्यालयों में करना होगा, जिसका उक्त स्थल तक का भाड़ा ऐजेंन्सी द्वारा देय होगा अन्यथा संबंधित फर्म की राशि जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
- 18 GST की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
- 19 विवाद की स्थिति में न्यायलय, सिवान का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
- 20 बिना कारण बताए निविदा को स्वीकृत/रद्ध करने का अधिकार अद्योहस्तारी को सुरक्षित रहेगा।
- 21 किसी विवाद के स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।


जिला पदाधिकारी,
सिवान।